न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2018/00429 (312/2018) 223 आरटीएक्ट

गुरसेवक सिंह पुत्र श्री ईकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 आर जे डी तहसील घडसाना जरिये मुखत्यारनामा खास संदीपसिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 आर जे डी तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर

– अपीलान्ट

बनाम

1. ईकबाल सिंह पुत्र अलबेल सिंह जाति जटसिख नि0 अयालकी तह0 पीलीबंगा
2. गुरविन्द्र सिंह पुत्र ईकबाल सिंह जाति जटसिख नि0 अयालकी तह0 पीलीबंगा
3. राजविन्द्रकौर पत्नि गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख नि0 अयालकी तह0 पीलीबंगा
4. गुरदेव कौर पत्नि अलबेलसिंह जाति जटसिख नि0 अयालकी तह0 पीलीबंगा
5. सिमरजीतकौर पुत्री ईकबाल सिह जाति जटसिख नि0 बालुवाला तह0 पदमपुर
6. सुखपालकौर पुत्री अलबेल सिंह जाति जटसिख नि0 चक 22 एमएम तह0 पदमपुर
7. जसपालकौर पुत्री अलबेल सिंह जाति जटसिख नि0 बुगलावाली तह0 सादुलशहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 27.08.2018 द्वारा सहायक कलैक्टर, पीलीबंगा प्र. सं. 165/2012 बअनवानी गुरसेवकसिंह बनाम ईकबालसिंह आदि

श्री संजयकुमार चांडक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन पारीक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक – 23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 इकबाल सिंह को वाद–पत्र में दर्जानुसार कुल 8.169 हैक्टयर भूमि पैतृक प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की प्रथम पत्नि के फौत होने के बाद अर्सा 22 वर्ष पूर्व प्रतिवादीसंख्या 1 ने वादी की माता से द्वितीय विवाह कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 के प्रथम पत्नि से एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 3 उत्पन्न हुए व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी संख्या 1 के दूसरे विवाह से वादी पैदा हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 को 8.129 हैक्टयर भूमि विरास्तन प्राप्त है व विरास्तन होने के कारण वादी का उक्त भूमि में जन्म से 1/4 हिस्सा का हक व अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना प्रतिफल के वाद पत्र की चरण संख्या 3 में कम संख्या 1 से 3 में दर्ज भूमि का बैयनामा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में करवाया है जो प्रारम्भतः शुन्य दस्तावेज है व ऐसे दस्तावेज से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते। वादी प्रतिवादीसंख्या 1 को विरास्तन प्राप्त 8.129 हैक्टयर भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है व अपने हक हिस्सा की भूमि का अच्छी मंदी के लिहाज से खाता विभाजन कर कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 20.11.2014 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत कर कथन किये कि वाद वादी विधिविरूद्व व माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही होने से काबिलें खारिजी है अतः वाद–वादी खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी ने कथन किये कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान आकर्षित नही होते है। प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा में उठाये गये आधार तनकी कायम कर बाद साक्ष्य तय होने योग्य है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पर सुना जाकर प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 स्वीकार कर वाद–पत्र वादी निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. **विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने** अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति थी व है उक्त भूमि के सम्बन्ध में अलबेल सिंह द्वारा की गई वसीतय का कोई प्रभाव नही है। प्रतिवादीसंख्या 1 द्वारा पैतृक सम्पति की भूमि का बैयनामा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में करवाया गया है जो प्रारम्भतयः ही शुन्य दस्तावेज है व ऐसे दस्तावेज को शुन्य घोषित करवाने की आवश्यकता नही है तथा न ही वादी का वाद किसी दस्तावेज को शुन्य घोषित करवाने हेतू प्रस्तुत किया गया है वादी द्वारा वाद–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसे सुनने की अधिकारीता केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में लिये गये आधारों का निस्तारण दोनो पक्षों के कथनो के आधार पर तनकीयात विरचित करने व साक्ष्य आने के बाद ही किया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने न ही तो तनकीयात विरचित की तथा न ही साक्ष्य ली गई व बिना साक्ष्य के ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम् कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विधिक स्थिति को समझे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे। वकील अपीलांट ने अपने बहक के समर्थन में डी एन जे 2015(4) पेज– 1602, डी एन जे 2015 पेज– 242, डी एन जे 2014 पेज– 162, डी एन जे 2012 पेज– 806, आर आर डी 2014 पेज 162 व आर आर टी 2011 पेज 1395 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की प्रतियां प्रस्तुत की।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति नही है बल्कि उक्त भूमि जरिये वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है व वसीयत से प्राप्त होने के कारण उक्त भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक सम्पति होना साबित नही है, प्रश्नगत् भूमि प्रतिवादी के परदादा के नाम की भूमि जो उन्होने जरिये वसीयत दिनांक 6.02.1970 को पिता के नाम करवा दी तत्पश्चात दिनांक 21.1.2011 को वसीतय से प्राप्त हुई है जो किसी भी प्रकार से जद्दी जायदाद नही है। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद स्पष्ट तयः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में करवाये गये बैयनामाा को निरस्त करने का है व राजस्व न्यायालय को बैयनामा निरस्त करने की अधिकारीता नही है जिससे स्पष्ट रूप से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का नही है व अधीनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील निरस्त की जावे। विद्वाव अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर आर टी 2016 (2) पेज 1129, आर बी जे 2013 पेज 603, आर आर डी 1994 पेज 98 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की प्रति प्रस्तुत की।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा विद्वाव अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति होने के कथन कर प्रस्तुत किया गया है तथा यह भी कथन किये है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पति है व पैतृक सम्पति होने से प्रश्नगत् भूमि में उसका जन्म से अधिकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से पक्ष में करवाये गये बैयनामा प्रारम्भतः शुन्य दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि रामसिंह जोकि प्रतिवादी संख्या 1 का दादा है की भूमि थी व रामसिंह ने उक्त भूमि की वसीयत अपने पुत्र अलबेल सिंह जोकि प्रतिवादी संख्या 1 का पिता के पक्ष में करवाई हुई थी व अलबेल सिंह पिता प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि जरिये वसीयत प्राप्त हुई है तथा अलबेल सिंह व अलबेल सिंह की पत्नि गुरदेव कौर ने उक्त भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में की हुई है, चूंकि प्रश्नगत् भूमि प्रतिवादीसंख्या 1 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है इसलिए प्रश्नगत् भूमि को पैतृक सम्पति होना नही माना जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सकता व वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैतृक सम्पति के आधार पर ही वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन उक्त भूमि पैतृक साबित नही होती है। इसके अलावा **वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में प्रश्नगत् भूमि का बैयनामा होने व बैयनामा प्रारम्भतः ही शुन्य दस्तावेज होने के कथन किये गये हैं जबकि बैयनामा को शुन्य घोषित करने की अधिकारीता इस न्यायालय को नही है।** ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि होना नही पाया जाता तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 यथावत् रखे जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 18:13:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: